

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 135 / 2015

संस्थित दिनांक-02 / 05 / 2015

फाइलिंग नंबर-230303002892015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

01- रामगोविंद पुत्र बटुरी सिंह तोमर,
उम्र 35 साल

02- देवेन्द्र सिंह पुत्र बदनसिंह तोमर,
उम्र 37 साल

03- सुरेश तोमर पुत्र बदनसिंह तोमर,
उम्र 40 साल

निवासीगण ग्राम छीमका थाना गोहद चौराहा

जिला भिण्ड मध्यप्रदेश।

.....आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
आरोपीगण द्वारा श्री मुंशीसिंह यादव अधिवक्ता।

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री पंकज शर्मा
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्र0 203 / 15 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्रमांक 135 / 2015

-::-- दोषमुक्ति आ दे श --::-

(अंतर्गत धारा-232 द0प्र0सं0 1973)

(आज दिनांक 25 जून 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आरोपीगण देवेन्द्र व रामगोविंद के विरुद्ध धारा 307 / 34 भा0द0सं0 के एवं आरोपी सुरेश के विरुद्ध धारा- 307 भादवि. एवं धारा-25(1-बी)(ए) व 27 आयुध अधिनियम के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16 / 11 / 2014 के रात 10:30 बजे ग्राम छीमका के पास बंबा की पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर रोड पर आहत संतोष को जान से मारने की नीयत से सामान्य आशय अग्रसरण किया और उस सामान्य आशय के अग्रसरण में आग्नेयास्त्र कटटा से उसपर प्राणघातक फायर किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते एवं अभियुक्त सुरेश बिना वैध अनुज्ञप्ति के कटटा व कारतूस अपने आधिपत्य में रखकर उसका उपयोग अपराध कारित करने में किया।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि, आरोपीगण और आहत ग्राम छीमका के निवासी हैं एवं आरोपीगण देवेन्द्र एवं सुरेश सगे भाई हैं ।
3. अभियोजन के अनुसार बताई गई घटना का सार संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि आरोपीगण द्वारा दि०-16/11/2014 की रात्रि करीब 10:30 बजे भिण्ड ग्वालियर लोक मार्ग स्थित ग्राम छीमका के पास बंबा की पुलिया के पास फरियादी राजेन्द्रसिंह एवं संतोष को जान से मारने के आशय से आरोपी सुरेश द्वारा कटटे से संतोष को गोली मारने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी राजेन्द्र द्वारा थाना गोहद चौराहा पर दि०-17/11/2014 को रात्रि 12:40 को की जाने पर आरोपीगण के विरुद्ध देहाती नालिसी लेखबद्ध कर जीरो पर कायमी की गयी । तत्पश्चात उक्त देहाती नालिसी के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अप.क्र.-265/2014 धारा-307 सहपठित धारा-34 भा.द.वि. पर आरोपगण के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी । फरियादी एवं आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र धारा 307 सहपठित धारा 34 भा०द०सं० के तहत सक्षम जे०एम०एफ०सी० न्यायालय में पेश किया जहां से उपापित होकर उक्त सत्र प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश सत्रखण्ड भिण्ड के अंतरण आदेश के तहत विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिस पर से कार्यवाही की गई । आरोपो की रचना की गई तत्पश्चात विचारण किया ।
4. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण देवेन्द्र एवं रामगोविंद के विरुद्ध धारा-307/34 भा.द.वि. एवं धारा-307 भा.द.वि एवं धारा- 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के आरोप की रचना की जाकर आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया । विचारण किया गया । मामले में आरोपीगण के विरुद्ध साक्ष्य के अभाव का बिन्दु विद्यमान हो जाने से और अभियोजन की साक्ष्य लेने, आरोपीगण की धारा-313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षा करने और उन्हें सुनने के पश्चात इस न्यायालय का ऐसा विचार है कि मामले में आरोपीगण के विरुद्ध संबद्ध विषय के बारे में साक्ष्य नहीं आयी है, इसलिये धारा-232 द.प्र.सं. 1973 के तहत यह दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जा रहा है ।
5. जहां तक मूल आरोप धारा-307 भा.द.वि. के संबंध में साक्ष्य का प्रश्न है । अभियोजन कथानक मुताबिक घटना का पीडित संतोष को बताया गया है। संतोष के संबंध में अभिलेख पर जो चिकित्सीय साक्ष्य आयी है उसमें डाक्टर पी.सी. सक्सेना अ.सा.-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में दि०-17/11/14 को आहत संतोष सिंह तोमर का सहारा अस्पताल ग्वालियर में मेडिकोलीगल ऑफीसर के पद पर रहते

हुए परीक्षण किए जाने पर दो चोटें पायी जिसमें बांये गाल पर एक फटा घाव 3 गुणित 5 से.मी. कनपटी से नाक तक लंबी खरोंच (कॉलर ऑफ एवरेजन) सहित पाया था, जो गोली के घर्षण से आना संभावित बताते हुए दूसरी चोट सिर के बांयी तरफ 2.5 गुणित 02 से. मी. की बांये कान से तीन सेमी ऊपर सिर की ओर बतायी है । दोनों चोटों के सी.टी.स्कैन कराने व सर्जन से राय लेने का मत देते हुए प्रदर्श पी.-14 की रिपोर्ट तैयार करना बताया है । और आग्नेयास्त्र से चोट पहुंचना बतायी है । प्राणघातक होने का मत देने हेतु सर्जन की ओर रिफर करना मूलतः बताया है। प्राणघातक चोट के संबंध में पुलिस द्वारा कोई तुलनात्मक अध्ययन आग्नेयास्त्र या कारतूस भेजकर उससे नहीं कराया तथा आहत राजेन्द्रसिंह के पीठ पर दोनों ओर सूजन व दर्द की शिकायत पाते हुए उसकी चोट सख्त व भौथरे वस्तु की बतायी है और प्र.पी.-15 की परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना तथा एक्सरे परीक्षण की सलाह देना कहा है, दोनों आहतों को आयी चोटें परीक्षण से 12 घण्टे की अवधि की बतायी हैं । प्रकरण में अन्य कोई चिकित्सीय प्रमाण पेश नहीं किया गया है। प्र.पी.-14 व 15 के अवलोकन से आहत संतोष सिंह का मेडीकल परीक्षण दि0-17/11/14 के सुबह 6:30 बजे और राजेन्द्रसिंह का सुबह 7 बजे किया जाना अंकित है।

6. प्र.पी.-5 की देहाती नालिसी रिपोर्ट मुताबिक घटना दि0-16/11/2014 के रात 10:30 बजे की बतायी है। इस हिसाब से चिकित्सीय राय मुताबिक बतायी गयी घटना के समय की चोटें होना संभावित हैं । आग्नेयास्त्र से चोटें होना जान से मारने के आशय को परिलक्षित करती है। राजेन्द्रसिंह को चोटें साधारण प्रकृति की हैं जो धारा-300 भा.द.वि.के अंतर्गत नहीं आती हैं ।
7. धारा-307 भा.द.वि.के अपराध के लिए कारित चोटें धारा-300 भा.द.वि.की परिधि के अंतर्गत आना आवश्यक है । आहत संतोष को उत्पन्न चोट आग्नेयशस्त्र की होने से और शरीर के मार्मिक अंग चेहरे पर होने के कारण उसे धारा-300 भा.द.वि.की परिधि के अंतर्गत माना जायेगा । किन्तु अपराध तभी प्रमाणित होगा जबकि विचाराधीन आरोपीगण या उनमें से किसीके द्वारा घटना कारित किया जाना युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित होता हो ।
8. इस संबंध में घटना के सर्वाधिक महत्व के साक्षी स्वयं आहत संतोष अ.सा.-3 है, जिसने अपनी अभिसाक्ष्य में आरोपीगण को गांव का होने के कारण पहचानना बताते हुए यह कहा है कि वह अपने पिता राजेन्द्र के साथ अपने खेतों पर ग्राम छीमका के हार में पानी देने के लिए दि0-16/11/2014 को गया था । आसपास के गांव के 20-25 किसान अपने अपने खेतों में पानी दे रहे थे । कुछ लोगों ने उसके पिता से अपना पानी बंद करने और उन्हें पानी ले लेने के

लिए कहा जिसपर उसके पिता ने अपने खेतों पर पानी लग जाने की बात की, इसी पर किसान नाराज होकर चले गये और शाम करीब 7:30-8:00 बजे जब वे अपने घर पर खाना खाने आ रहे थे तभी छीमका के बंबा की पुलिया के पास 10-12 लोग मिले जो उन्हें देखकर कहने लगे थे कि देखो यही हों तो नहीं जाने दो । फिर बंदूक से फायर जैसी आवाज आयी थी और एक गोली उसके बांये कनपटी में लगी थी गोली लगने से वह पुलिया के पास खण्डों पर गिर गया था जिससे उसे हाथ पैरों में भी चोट आयी थी और बेहोश हो गया था । साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण देवेन्द्र, सुरेश व रामगोविंद ने आकर खेतों में पानी बंद करने को और अपने खेतों में पानी लगाने को कहा । इस बात से भी इंकार किया कि उन्होंने घटना कारित की । इस बात से भी इंकार किया कि आरोपीगण ने जान से मारने की नीयत से घटना की जिसमें सुरेश के द्वारा 315 बोर के कटटे से गोली मारी । बल्कि यह बताता है कि 15-20 लोगों की भीड़ थी और अंधेरा था गोली किसने चलायी यह वह नहीं देख पाया । देवेन्द्र के द्वारा सिर में लाठी मारे जाने, रामगोविंद के द्वारा हाथों में लाठी मारे जाने से उसने इंकार किया । पिता राजेन्द्रसिंह की पीठ में आरोपी रामगोविंद द्वारा लाठी से चोट पहुंचाये जाने से इंकार करते हुए इस बात से भी इंकार किया कि घटना संजीव व कल्याण ने देखी थी । उसने प्रदर्श पी.-8 का पुलिस को कथन देने से इंकार किया । यह भी इंकार किया जिन लोगों ने खेत के पानी देने पर से विवाद किया था उनमें आरोपीगण सुरेश, रामगोविंद व देवेन्द्र नहीं थे ।

9. इस प्रकार से स्वयं मुख्य आहत संतोष अ.सा.-3 का अभिसाक्ष्य आरोपीगण के विरुद्ध नहीं आया है । उसे गोली लगने से प्र.पी.-14 में बतायी गयी चोट नंबर'01 आना तो स्थापित होता है किन्तु आरोपीगण में से किसीके द्वारा गोली चलायी गयी हो, या घटना में शामिल रहे हों या घटना के पूर्व खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद किया हो ऐसा कतई स्थापित नहीं होता है। अर्थात् उक्त साक्षी मूल घटना के विषय में अभियोजन का आरोपीगण के विरुद्ध कोई समर्थन नहीं करता है।
10. इसी प्रकार घटना का दूसरा महत्वपूर्ण आहत साक्षी राजेन्द्रसिंह अ.सा.-2 है जो कि आहत संतोष का पिता है, उसने भी अ.सा.-3 की तरह ही साक्ष्य दी है और आरोपीगण के विरुद्ध कथन नहीं किया है। जिसके द्वारा घटना की देहाती नालिसी रिपोर्ट प्र.पी.-5 लिखायी गयी थी । प्र.पी.-6 का उसने कथन देने से इंकार किया है। पुलिस द्वारा मौके पर आकर प्र.पी.-4 का नक्शामौका बनाना और घटनास्थल से खून आलूदा व सादा मिट्टी व 315 बोर का कारतूस का खोखा प्र.पी.-7 जब्ती पत्रक मुताबिक जब्त करना

कहा है। प्र.पी.-05 की देहाती नालिसी रिपोर्ट में आरोपीगण के द्वारा घटना कारित किया जाना बताया है जिसका आहत समर्थन नहीं करता है उसका ऐसा भी कहना रहा है कि पुलिस ने सहारा अस्पताल ग्वालियर में आकर लिखापट्टी की थी किन्तु उसने पुलिस को प्रदर्श पी.-6 के बयान में ए से ए भाग नहीं लिखाया था। ब्रजेन्द्र के द्वारा प्र.पी.-05 की देहाती नालिसी लिखाने की बात भी नहीं बतायी। उसे यह जानकारी नहीं है कि उसके लडको को गोली किसने मारी थी। स्पष्ट तौर पर उसने आरोपीगण के द्वारा घटना कारित करने से इंकार किया है। अंत में यह बताया कि ग्वालियर अस्पताल में ब्रजेन्द्र ने उससे कहा था कि तुम चिंता मत करो मैं रिपोर्ट लिखा दूंगा। ब्रजेन्द्र का नाम अभियोजन कथानक में नहीं है। उसका यह भी कहना है कि वह पढा लिखा नहीं है और देहाती नालिसी पुलिस ने उसे पढकर नहीं सुनायी ना ही उसने पढी वह ब्रजेन्द्र बघेल के कहने पर हस्ताक्षर करना कहता है। जबकि ब्रजेन्द्र पूरे कथानक में प्रकट ही नहीं हुआ है। इस तरह से उक्त आहत भी समर्थन नहीं कर रहा है और घटना के बताये गये चक्षुदर्शी साक्षी कल्याण सिंह अ.सा.-4 एवं संजीव अ.सा.-8 ने भी पक्ष विरोधी होते हुए कोई समर्थन नहीं किया है। कल्याण ने प्र.पी.-9 का कथन और संजीव ने प्र.पी.-16 का कथन देने से इंकार करते हुए आरोपीगण के द्वारा घटना कारित किए जाने से साफ इंकार करते हुए संतोष को चोटिल हो जाने के बाद मौके पर पहुंचना कहा है।

11. इस तरह से आहतगण एवं चक्षुदर्शी साक्षियों से घटना का कोई समर्थन नहीं है। और उन्होंने कथानक का खण्डन किया है। अन्य कोई ऐसी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आयी है जिससे आरोपीगण के द्वारा मूल घटना कारित किया जाना स्थापित होता हो। प्र.पी.-5 की देहाती नालिसी का वृत्तांत इस तरह से उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है और विवेचक ए.एस.आई. सुरेशदत्त मिश्रा अ.सा.-09 के अभिसाक्ष्य में भी ऐसे तथ्य नहीं आये हैं जो अभियोजन के कथानक को संदेह से परे प्रमाणित कर सके।

12. अन्य साक्षी औपचारिक स्वरूप के हैं जिसमें वीरेन्द्रसिंह अ.सा.-1 आरोपी देवेन्द्र की गिरफ्तारी, लाठी की जब्ती व मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.-1 लगायत-3 का साक्षी है जिसने उसका समर्थन नहीं किया। विवेचक अ.सा.-9 के अभिसाक्ष्य से प्र.पी.-1 से 3 के दस्तावेज प्रमाणित मान भी लिये जाये तो उससे अपराध प्रमाणित नहीं होगा, न ही आरोपी देवेन्द्र की घटना में संलिप्तता प्रमाणित होती है। सुगमसिंह अ.सा.-5 जोकि आरोपी रामगोविंद की गिरफ्तारी प्र.पी.-10, उससे लाठी की जब्ती प्र.पी.-11 और उसके मेमोरेण्डम कथन धारा-27 साक्ष्य विधान का पंच साक्षी है जिसका उसने कोई समर्थन नहीं किया है। प्र.पी.-10 लगायत-12 के दस्तावेजों को यदि

अ.सा.-9 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित मान भी लिया जाये तब भी मूल घटना प्रमाणित नहीं होगी । पटवारी महेन्द्रसिंह अ.सा.-6 के द्वारा प्र.पी.-13 का नजरी नक्शामौका प्रमाणित किया गया जो केवल इस बात का परिचायक है कि घटनास्थल पुलिस थाना गोहद चौराहा के अंतर्गत आता है और कोई तथ्य उससे प्रमाणित नहीं होता है। प्रधान आर०गोपसिंह यादव के द्वारा प्र.पी.-5 की देहाती नालिसी पर से प्र.पी.-20 की एफ आई आर लेखबद्ध करना बताया है किन्तु प्र.पी.-5 का वृत्तांत ही प्रमाणित नहीं है इसलिये प्र.पी.-20 की एफ आई आर प्रमाणित नहीं होती है।

13. इस तरह से अभिलेख पर इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आयी है कि आरोपी सुरेश के द्वारा संतोष को जान से मारने की नीयत से 315 बोर के देशी कटटे से प्राणघातक चोट पहुंचाने के लिए फायर किया, वही संतोष के बांये गाल पर लगा जिससे उसे प्र.पी.-14 मुताबिक चोट क०-1 कारित हुई, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अन्य आरोपीगण का घटना में सहअभियुक्त के रूप में कोई कृत्य रहा हो। इसलिये आरोपी सुरेश धारा-307 भा.द.वि. एवं आरोपीगण रामगोविंद व देवेन्द्र धारा-307/34 भा.द.वि. से दोषमुक्ति के पात्र हैं । अतः उन्हें साक्ष्य अभाव में उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

14. आरोपी सुरेश पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा-25(1-बी)(ए) एवं धारा-27 के तहत भी आरोप विरचित है जो इस आधार पर विरचित किया गया कि कथानक में सुरेश के द्वारा 315 बोर के देशी कटटे का उपयोग प्राणघातक चोट संतोष को पहुंचाने के लिए किया गया, जिसका उसके पास कोई वैध शस्त्र लाइसेंस नहीं था । किन्तु इस संबंध में अभिलेख पर केवल विवेचक सुरेशदत्त मिश्रा अ.सा.-09 का ही साक्ष्य है जो यह बताता है कि उसने विवेचना के दौरान दि०-17/2/15 को आरोपी सुरेश को प्र. पी.-17 का गिरफ्तारी पत्रक बनाकर गिरफ्तार किया था और कटटा कारतूस के संबंध में उसे पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जिसमें उसने कटटा कारतूस घर की अटैची में रखना व बरामद कराना बताया जिसका प्र.पी.-18 का 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया फिर उसके आधार पर आरोपी सुरेश के कब्जे से 315 बोर का कटटा व एक जिंदा कारतूस प्र.पी.-19 मुताबिक जब्त किया । किन्तु उसकी उक्त कार्यवाही का किसी साक्षी से समर्थन नहीं है हालांकि विवेचक ने उक्त कार्यवाही भी अन्य कार्यवाही के साथ थाने पर बैठकर कर लेने से इंकार किया है। लेकिन यह स्वीकार किया है कि उसने की गयी विवेचना संबंधी रवानगी वापिसी का कोई रोजनामचा सान्हा पेश नहीं किया है। और उक्त आरोप के संबंध में अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्ष्य भी पेश नहीं की गयी तथा ऊपर वर्णित निष्कर्ष मुताबिक आरोपी सुरेश

की प्राणघातक उपहति पहुचाने संबंधी मूल घटना में उपस्थिति स्थापित नहीं हुई है तथा सुरेश की गिरफ्तारी घटना के 03 महीने बाद हुई है । कट्टा कारतूस की कोई जांच रिपोर्ट, अभियोजन स्वीकृति का प्रमाण भी साक्ष्य में पेश नहीं है और जब उसकी उपस्थिति ही संदिग्ध है तथा पुलिस द्वारा किसी अन्य सूचना के आधार पर सुरेश से उक्त हथियार की बरामदगी भी नहीं बतायी गयी है इसलिये आयुध अधिनियम संबंधी आरोप बाबत भी अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं आयी है। इसलिये आरोपी सुरेश साक्ष्य अभाव में आयुध अधिनियम 1959 की धारा-25 (1-बी)(ए) एवं 27 से भी दोषमुक्ति का पात्र है। अतः उक्त आरोप से भी दोषमुक्ति की जाती है।

15. आरोपीगण देवेन्द्र एवं रामगोविंद के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं । आरोपी सुरेश के जेल वारण्ट पर अन्य अपराध में आवश्यकता न होने पर शीघ्र रिहा किया जाने की टीप लाल स्याही से लगायी जावे।

16. जब्तशुदा दो लाठियों व खून आलूदा सादा मिट्टी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावें तथा जब्तशुदा 315 बोर का कट्टा मय जीवित कारतूस विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजा जावे ।

17. धारा-428 जा.फौ. के तहत प्रमाणपत्र संलग्न किए जावें।

18. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांक: 25 जून 2016

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उप)